



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51685-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 186 वर्ष 2026

नफासत खान

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: कौशल किशोर मिश्रा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: राजीव सिंह, एस.सी.

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. प्रस्तुत याचिका, जो कथित रूप से जनहित में दायर की गई है, याचिकाकर्ता द्वारा अन्य बातों के साथ इस कथन के आधार पर प्रस्तुत की गई है कि गाटा संख्या 1029क एवं 1029ख में स्थित भूमि ग्राम पालड़ी, तहसील बुधाना, जनपद मुजफ्फरनगर की तालाब भूमि है; अतः प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि उक्त गाटा संख्या 1029क एवं 1029ख की भूमि पर किए गए निर्माण को ध्वस्त किया जाए।

2. अभिलेख पर प्रस्तुत निर्देशों से यह इंगित होता है कि याचिका में तथ्यात्मक रूप से असत्य कथन किए गए हैं, क्योंकि गाटा संख्या 1029क को तालाब के रूप में अभिलिखित किया गया है, जबकि गाटा संख्या 1029ख वर्तमान में 'आबादी' के रूप में अभिलिखित है तथा उक्त गाटा संख्या 1029ख पर पुरानी आबादी विद्यमान है।

3. आगे यह भी संकेतित किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 द्वारा गाटा संख्या 1029क की भूमि पर कुछ निर्माण कार्य किया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है, तथा वर्तमान में जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह गाटा संख्या 1029ख की भूमि पर किया जा रहा है, जो उक्त प्रत्यर्थीगण के स्वामित्व में है; अतः याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति में कोई सार नहीं है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया कि जो भूमि मूलतः तालाब के रूप में अभिलिखित थी, उसे वर्ष 1971 में द्वितीय चकबंदी कार्यवाही के दौरान गलत रूप से गाटा संख्या 1029क एवं 1029ख में विभाजित कर दिया गया, अतः प्रत्यर्थीगण की कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है।
5. हमने प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
6. जब यह निर्विवाद है कि गाटा संख्या 1029ख की भूमि 'आबादी' के रूप में अभिलिखित है, तब याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।
7. वर्ष 1971 में भूमि के वर्गीकरण में कथित त्रुटि के संबंध में, लगभग 55 वर्षों के उपरांत याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता।
8. अतः, याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

दिनांक : 13 मार्च 2026

एन.डी./वी.एस.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।